[illegible] 03) एकतरफा डिक्री (आदेश)
उपरा ~~पक्ष~~ अप्रार्थीगण की तलबी/तलबाना
आज भी पेश नहीं करने जाहिर है। पत्रावली
न्यायालय गत पर आदेश के लिए नियत
अवलोकन किया गया। आदेश को अप्रार्थी
गण की तलबी पेश करने हेतु न्यायालय के
बार-बार अवसर देते हुए हिदायत की
गयी परन्तु बावजूद हिदायत के तलबी पेश
नहीं की गयी एक प्रकार किसी भी पक्षकार
का न्यायालय के आदेश की पालना नहीं
करने की अनुमति नहीं है अतः आदेश का
पत्र प्रा०-पत्र शामिल पत्र अ० आदेश 9 नियम
5 CPC के प्रावधानों के तहत 2 बार नि क्रिया
माना है। पत्रावली फोल [illegible] लेकर
दर्ज रजिस्टर के क्रम से एक बार तलबीस
मूल्य बाद के पश्चात लेकर डिक्री लिखवाना
होगा।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Yadav
Date: 2019.12.23 17:25:00 IST
Reason: SelfAttested